



2026:AHC: 13139

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 43709/2025

चिम्मन लाल और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 9 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : ललित कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शेर बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- 1- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एकमात्र प्रार्थना प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात आयुक्त, बरेली मंडल, जनपद बरेली को अपील संख्या 2328 वर्ष 2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202512000002328/2025) में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत अंतरिम राहत के आवेदन पर उचित आदेश पारित करने का निर्देश देने के लिए की गई है।
- 2- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सुना गया, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 की ओर से नोटिस स्वीकार किया और श्री एस.बी. सिंह, प्रत्यर्थी संख्या 10 के विद्वान अधिवक्ता ने भी नोटिस स्वीकार किया।
- 3- आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 4 से 9 को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
- 4- उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 5- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का **अंतिम रूप से निस्तारण** प्रत्यर्थी संख्या 2-आयुक्त, बरेली मंडल, बरेली, जिनके समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उक्त स्थगन आवेदन लंबित है, को मामले में अगली नियत तिथि से **तीन सप्ताह** की अवधि के भीतर उक्त आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6- आज से एक माह की अवधि के लिए या उपरोक्त आवेदन में उचित आदेश पारित होने तक, जो भी पहले हो, पक्षकारों के बीच आज की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।

7- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने गुण-दोष पर आदेश पारित नहीं किया है और अवर न्यायालय, इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना विधि के अनुसार कड़ाई से उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

20 जनवरी, 2026

स्वाति